[2017] 13 एस. सी. आर 477

भारतीय तेल निगम लिमिटेड

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

सिविल अपील सं. 3018/2017

नवंबर 14,2017

[आर. एफ. नरीमन और संजय किशन कौल, न्यायमूर्तिगण]

बिहार के स्थानीय क्षेत्रो में मालो के उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री के लिए मालो के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993-.धारा- 3 (2)-प्रवेश कर के विरुद्ध वैट निर्धारित किया गया-दावा-अपीलार्थी-निगम बिहार राज्य के बाहर से कच्चे तेल का आयात करता है और इसे पेट्रोलियम उत्पाद में परिवर्तित करता है। जैसे हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल आदि-इन उत्पादों का कुछ हिस्सा अपीलकर्ताओं द्वारा दो अन्य तेल विपणन कंपनियों (ते.वि.क.) को बेचा जाता है। अर्थात बी. पी. सी. एल. और एच. पी. सी. एल. अपनी पटना शाखा से-जब उत्पाद पटना के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अपीलार्थी प्रवेश कर का भुगतान करता है-अपीलार्थी की शिकायत है कि जब ले.वि.कं. को बिक्री की जाती है. प्रवेश कर के भुगतान के बाद, प्रवेश कर के खिलाफ वैट निर्धारित नहीं किया जाता है-उच्च न्यायालय अग्रिम निर्णय प्राधिकरण से सहमत हो गया, और प्रवेश कर के दूसरे परंतुक धारा 3(2) के अधीन अपीलार्थी के मामले को खारिज कर दिया। जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त परंतुक के तहत छूट की अनुमति नहीं होगी-अभिनिर्धारितः धारा 3(2) के अधीन बंद करने के दावे के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है। धारा 3(2) के अधीन प्रवेश कर के रूप में देय कर का भुगतान केवल वैट अधिनियम के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक विक्रेता द्वारा किया जा सकता है; (ii) छूट केवल तभी दी जा सकती है जब निर्धारिती

अनुसूचित वस्तुओं का आयातक हो, जो वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो; (iii) निर्धारिती को वैट अधिनियम की धारा 14 के निर्दिष्ट दरों पर कर देयता वहन करनी चाहिए।(iv) यह केवल आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री के आधार पर होना चाहिए; और (v) वैट अधिनियम के तहत "उसकी" कर देयता तब अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगी-तत्काल मामले में। अपीलार्थी एक पंजीकृत विक्रेता है और इस प्रकार वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, शर्त (i) पूरी होती है-शर्त (ii) हालांकि, बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचना दिनांक 04.05.2006 के रूप में पूरी नहीं होती है। इस अधिरुचता में कहा गया है कि तेल कंपनियों द्वारा खुदरा विक्रेता को बिक्री के बिंदु पर या उपभोक्ता को सीधे शुल्क लगाया जाता है-जब अपीलकर्ता द्वारा बी. पी. सी. एल. और एच. पी. सी. एल. को बिक्री की जाती है तो किसी भी वैट का कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है-वैट केवल बिक्री की श्रृंखला के अगले बिंदु पर लगाया जाता है, जो बी. पी. सी. एल. और एच. पी. सी. एल. से उनके खुदरा विक्रेताओं को बिक्री है-इसलिए, हालांकि अपीलकर्ता अनुसूचित वस्तुओं का आयातक है परवैट के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नही है-शर्त (iii) भी पूरी नहीं की जाती है, क्योंकि अपीलार्थी पर कोई शुल्क नहीं है। अपीलार्थी पर धारा 14 के अधीन कर का कोई दायित्व नहीं है। जहां तक स्थिति (iv) का संबंध है, किसी भी मामले में, यह बहुत ही आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री के आधार पर होना चाहिए। जिसका अर्थ है कि बिक्री अपीलार्थी द्वारा ही की जानी चाहिए न कि अन्य ते.वि.क. द्वारा, और इस प्रकार शर्त (iv) भी पूरी नहीं की जाती है-शर्त (v) वह होनी चाहिए कि "उसकी" यानी वैट अधिनियम के तहत अपीलार्थी की कर देयता तब कम हो जाएगी, और यह केवल अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक है-यह शर्त भी पूरी नहीं की जाती है क्योंकि छूट व्यक्ति विशिष्ट है और वस्तु विशिष्ट नहीं है-इस प्रकार। इसलिए, शाब्दिक रूप से धारा 3(2) के दूसरे परंतुक के पठन पर अपीलार्थी भुगतान का दावा खारिज करने का हकदार नहीं होगा-बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005-धारा 3. 13.16-बिहार वित्त अधिनियम 1981 ।

बिहार स्थानीय क्षेत्रो में उपभोग व्यवहार तथा बिक्री के लिए मालो के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 अनिवार्यता-अपीलकर्ता-निगम बिहार राज्य के बाहर से कच्चे तेल का आयात करता है-कच्चे तेल को संसाधित किया जाता है और पेट्रोलियम उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल आदि-इन उत्पादों का कुछ हिस्सा अपीलकर्ताओं द्वारा दो अन्य तेल विपणन कंपनियों (6 जेएमसी) को बेचा जाता है।अर्थात् बी. पी. सी. एल. और एच. पी. सी. एल. अपनी पटना शाखा से-जब उत्पाद पटना के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अपीलार्थी प्रवेश कर का भुगतान करता है-अपीलार्थी की शिकायत है कि जब ते.वि.क. को कोई बिक्री होती है। प्रवेश कर के भुगतान के बाद, प्रवेश कर के खिलाफ वैट निर्धारित नहीं किया जाता है-वैट का निर्धारण. जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया था 2014 वर्ष तक अनुमति दी गई थी। यद्यपि लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुसार। निर्धारण जिसे अनुमति दी गई थी, उन्हें फिर से खोला गया और फिर अनुमति नहीं दी गई-निर्धारण वर्षों 2008-09 से 2014-15 तक इस तरह की अस्वीकृति से उत्पन्न होने वाली प्रवेश कर की मांग की राशि रु. 1683.03 करोड़ थी अपीलार्थी ने तर्क दिया कि यह नहीं दिया गया था उसे यह प्रदर्शित करने का अवसर कि मांगी गई राशि का एक बड़ा हिस्सा पटना के स्थानीय क्षेत्र के बाहर एचपीसीएल और बीपीसीएल द्वारा की गई बिक्री से संबंधित है। इसलिए प्रवेश कर को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करेगा। अभिनिर्धारितः लेखापरीक्षा आपत्तियों के बाद।जब प्राधिकरण द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था। निर्धारिती ने बार-बार मामले के गुण-दोष पर विस्तृत आपत्ति जताने के लिए समय मांगा-हालांकि, आगे की जानकारी मांगे बिना और पूर्तिकर विवरण के बिना, सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त ने इसके तुरंत बाद एक मूल्यांकन आदेश पारित किया-अपीलार्थी ने तदनुसार अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने का अवसर प्राप्त कर इसके निमत्त सभी प्रासंगिक सामग्रियों के साथ और न्यायाधिकरण इस बारे में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए कि प्रश्नगत निर्धारण वर्षों के लिए प्रवेश कर की कितनी मांग को उसे निरस्त करना होगा।

कर/कराधानः

कराधान कानून- अनुच्छेद 14 की कसौटी पर-अभिनिर्धारितः जब कर लगाने के कानून की बात आती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन केवल तभी कहा जा सकता है जब विकृति या घोर असमानता हो जिसके परिणामस्वरूप विधायिका द्वारा स्पष्ट और शत्रुतापूर्ण भेदभाव किया जाता है।किसी भी तर्कसंगत औचित्य के बिना-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14 अधिकार और विशेषाधिकार-निर्धारित-अभिनिर्धारितःकोई भी निर्धारिती निर्धारण को अधिकार के रुप का दावा नही कर सकता और प्रवेश कर के उद्ग्रहण के मामले को केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं कह सकता क्योंकि छूट नहीं दी गई है।

मामलों का निपटारा करते हुए,

न्यायालय ने कहाः 1. प्रश्नगत निर्धारण उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर बिहार कर अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) की व्याख्या पर निर्भर करता है।उक्त प्रावधान के तहत छूट के दावे के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता हैः

(i) पहला और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 3 (2) के तहत ही, प्रवेश कर के रूप में लगाए जाने वाले कर का भुगतान केवल प्रत्येक डीलर द्वारा किया जा सकता है जो वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(ii) छूट केवल तभी दी जा सकती है जब निर्धारिती अनुसूचित वस्तुओं का आयातक हो, जो वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो;

(iii) निर्धारिती को वैट अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्दिष्ट दरों पर कर देयता वहन करनी चाहिए;

(iv) यह केवल आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री के आधार पर होना चाहिए और

(v) वैट अधिनियम के तहत "उसकी" कर देयता तब अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगी। [पारा 12] [500-बी-डी)

2. शर्त (i) को पूरा करने के लिए, यह देखा जाएगा कि प्रवेश कर अधिनियम के तहत देय कर का भुगतान वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक विक्रेता द्वारा किया जाएगा। वैट अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत, वे सभी व्यक्ति जो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत पंजीकृत विक्रेता हैं, जैसा कि यह इसके निरसन से पहले था, उनके द्वारा की गई बिक्री और खरीद पर उक्त अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत एक पंजीकृत विक्रेता है और इस प्रकार वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए शर्त (i) निश्चित रूप से पूरी होती है।[पारा 13] [500-ई-एफ)

3.1 जहाँ तक शर्त (2) का संबंध है, अपीलार्थी अनुसूचित वस्तुओं अर्थात पेट्रोलियम उत्पाद का आयातक है। जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को प्रवेश कर अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें वैट अधिनियम के तहत सौंपा गया है (प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2 (2) देखें)। वैट अधिनियम के तहत, "आयातक" को परिभाषित किया गया है।उपरोक्त परिभाषा से यह देखा जा सकता है कि एक आयातक अनिवार्य रूप से एक ऐसे व्यापारी को संदर्भित करेगा जो राज्य के बाहर से अनुसूचित वस्तुओं का आयात करता है। [पारा 14) [500-एफ-जी; 501 ए)

3.2 जैसा कि वैट अधिनियम की धारा 13 (1) से स्पष्ट है, अनुसूची 2 और 3 वस्तुओं की सभी बिक्री पर उक्त अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी विक्रेता द्वारा बिक्री की श्रृंखला में प्रत्येक बिंदु पर कर का बोझ उठाना पड़ता है। हालाँकि, यह धारा 16 के अधीन है, जिसके द्वारा एक बार माल पर कर लगने के बाद, उसके बाद हर स्तर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। यह योजना आम तौर पर सभी अनुसूची II और III वस्तुओं पर लागू होती है।हालाँकि, जब अनुसूची IV, मद 3 में निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर कर की बात आती है, जिसमें उच्च गति वाले डीजल तेल और हल्के डीजल तेल शामिल हैं, तो उक्त अधिनियम के तहत शुल्क केवल उस बिंदु पर है जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें। 4 मई, 2006 की

अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब मोटर स्पिरिट हाई स्पीड डीजल तेल और हल्के डीजल तेल की बात आती है, तो शुल्क तेल कंपनियों द्वारा खुदरा विक्रेता को या सीधे उपभोक्ता को बिक्री के बिंदु पर है। उपरोक्त अधिसूचना को पढने पर, यह स्पष्ट है कि जब अपीलार्थी द्वारा बी. पी. सी. एल. और एच. पी. सी. एल. को बिक्री की जाती है, तो इस बिंदु पर किसी भी वैट का कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है।वैट केवल बिक्री की श्रृंखला के अगले बिंदु पर लगाया जाता है, जो बीपीसीएल और एचपीसीएल से उनके खुदरा विक्रेताओं और/या उपभोक्ताओं को बिक्री है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दूसरी शर्त पूरी नहीं की जाती है क्योंकि अनुसूचित वस्तुओं का आयातक अर्थात अपीलार्थी वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। [पैरा 15) [501-बी-ई)

3.3 जहाँ तक शर्त (iii) का संबंध है, अपीलार्थी पर कोई शुल्क नहीं होने के कारण, अपीलार्थी पर वैट अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्दिष्ट दरों पर कोई कर दायित्व नहीं है। (पारा 16) (501-ई-एफ)

3.4 जहाँ तक शर्त (iv) का संबंध है, किसी भी मामले में, यह बहुत ही आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री के अंत तक होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि बिक्री अपीलार्थी द्वारा ही होनी चाहिए न कि अन्य तेल विपणन कंपनियों द्वारा। यह इस प्रावधान के दूसरे भाग से स्पष्ट हो जाता है जिसमें लिखा हैः. या ऐसी आयातित अनुसूचित वस्तुओं का उपभोग करके निर्मित वस्तुओं की बिक्री। [पैरा 171 (501-एफ-जी]

3.5 इसके अलावा, शर्त (v) यह होनी चाहिए कि "उसका" यानी वैट अधिनियम के तहत अपीलार्थी का कर दायित्व तब कम हो जाएगा, और यह केवल अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक है। यह शर्त को भी पूरा नहीं किया जाता है क्योंकि छूट व्यक्ति विशिष्ट है और माल विशिष्ट नहीं है, जैसा कि राजस्व की ओर से सही ढंग से तर्क दिया गया है। [पारा 18] (501-जी-एच; 502-ए)

3.6 इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि धारा 3 (2) द्वितीय परंतुक के शाब्दिक पठन पर, अपीलार्थी छूट का दावा करने का हकदार नहीं होगा। (पैरा 19) (503-सी)

4.1 इसके अलावा, अपीलार्थी का विवरण। यह था कि धारा 3 के दूसरे परंतुक को शाब्दिक रूप से पढ़ने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां एक ही माल पर कर की अलग-अलग दरें लागू होंगी और यह भेदभावपूर्ण होगा। यह याचिका दस्तावेज अपीलार्थी को इस साधारण कारण से लाभ नहीं पहुंचाता है कि दो कर हैं जो वर्तमान मामले में लगाए जाते हैं, एक वैट है और दूसरा प्रवेश कर है। एक मामले में, वैट को प्रवेश कर के खिलाफ निर्धारित किया जाता है और दूसरे में, वैट को इस तरह से निर्धारित नहीं किया जाता है।उपरोक्त स्थिति से उत्पन्न होने वाली किसी भी विसंगति से स्पष्ट और शत्रुतापूर्ण भेदभाव का आरोप नहीं लगेगा। [पैरा 23] [504-ई-एफ]

4.2 जब कानूनों पर कर लगाने की बात आती है, तो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 14 को केवल तभी तोड़ा जा सकता है जब विकृति या घोर असमानता स्पष्ट हो। जिसके परिणामस्वरुप विधायिका द्वारा अभ्यास किया गया स्पष्ट और शत्रुतापूर्ण भेदभाव बिना किसी भी तर्कसंगत औचित्य के किया गया हो। इसके अलावा, कोई भी प्राप्तकर्ता अधिकार के मामले के रूप में छूट का दावा नहीं कर सकता है और प्रवेश कर के उद्ग्रहण को केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि छूट नहीं दी गई है। [पारा 24,25) [504-एफ-जी; 505-ए)

5. अपीलार्थी ने हालांकि बताया कि लेखापरीक्षा आपत्तियों के बाद प्राधिकरण द्वारा एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब दो पत्रों द्वारा दिया गया था, जिसमें निर्धारिती ने बार-बार मामले के गुण-दोष पर विस्तृत आपत्ति करने के लिए समय मांगा था। अंत में, एक अन्य पत्र द्वारा निर्धारिती बी. पी. सी. एल. और एच. पी. सी. एल. द्वारा दिए गए प्रश्नगत मूल्यांकन वर्षों के लिए कुछ प्रमाण पत्र एकत्र करने में सफल हुआ ताकि यह दिखाया जा सके कि उनके द्वारा की गई बिक्री की एक बड़ी राशि उनके खुदरा उपभोक्ताओं को दी गई थी और हालांकि खुदरा दुकानें पटना के स्थानीय क्षेत्र के बाहर थीं, और इसलिए, प्रवेश कर के लिए बिल्कुल भी निर्योग्य नही थी ।

वाणिज्यिक कर के सहायक आयुक्त ने आगे के डेटा और बैकअप विवरण मांगे बिना इसके तुरंत बाद एक मूल्यांकन आदेश पारित किया और मांग नोटिस जारी किए।ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व ने उपरोक्त मांग नोटिस जारी करने में बहुत जल्दबाजी की है, और चूंकि ते.वि.क. के पास पटना क्षेत्र के बाहर अपने खुदरा ग्राहकों और दुकानों को वर्षों से की गई बिक्री का पूरा विवरण है, इसलिए अपीलकर्ता को सभी प्रासंगिक दस्तावेजी) सामग्री को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो यह दर्शाता है कि इन वर्षों की मांग की एक बड़ी राशि (1683.03 करोड़ रुपये की) को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि इन लेनदेनों पर प्रवेश कर बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत, उपयोग या बिक्री पटना के स्थानीय क्षेत्र के बाहर हुई है।वास्तव में, इन सभी बिक्री को पटना के बाहर स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कर का सामना करना पड़ा होगा, जहां ऐसी खुदरा बिक्री की गई थी, बशर्ते कि वे बिहार राज्य के भीतर की गई हों।अपीलार्थी सभी विवरणों के साथ अपीलार्थी न्यायाधिकरण से संपर्क करे और अपील न्यायाधिकरण से अनुरोध करे कि वह इस निर्णय द्वारा आवश्यक निष्कर्षों को यथासंभव शीघ्रता से प्रस्तुत करे। [पारा 31) (506-ई-एच; 507-ए-सी]

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य (2004) 7 एससीसी 642:[2004] 4 पूरक एससीआर 868; तमिलनाडु राज्य बनाम एमके कंदस्वामी और अन्य (1975) 4 एससीसी 745:[1976] 1 एस. सी. आर. 38; ए. वी. फर्नांडीज बनाम केरला राज्य/ए (1957) एस. सी. आर. 837; बिहार राज्य और अन्य बनामबिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य (1996) 9 एससीसी 136:[1996] 2 एससीआर 184; आयकर आयुक्त, बैंगलोर बनाम जे. एच. गोटला यादागिरी (1985) 4 एस.सी.सी.343:[1985] 2 पूरक एस. सी. आर. 711-अनुपयुक्त ठहराया गया।

आयुर्वेद फार्मेसी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (1989) 2 एससीसी 285:(1989) 2 एस. सी. आर. 37; आशीर्वाद फिल्म्स बनाम भारत संघ और अन्य (2007) 6 एससीसी 624:(2007) 7 एससीआर 310; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन

लिमिटेड (2007) 10 एस. सी. सी. 342:[2007) 6 एस. सी. आर. 525; भारत संघ और अन्य बनाम एस.एन. रथनम एंड सन्स (2015) 10 SCC 681:[2015] 8 एससीआर 751-प्रतिष्ठित।

द ट्विफोर्ड टी कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम केरला राज्य और अन्य (1970) 1 एससीसी 189:[1970] 3 एस. सी. आर. 383; गंगा शुगर निगम लिमिटेड बनाम.उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1980) 1 एस.सी.सी. 189 : [1970] 3 एस.सी.आर. 769 अश्वथनारायण सेट्टी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (1989) पूरक(1) एससीसी 696:[1988] 3 पूरक एससीआर 155; गोदरेज एंड बॉयस उत्पादन कं. प्रा. लि. और अन्य बनाम {बिक्री कर आयुक्त और अन्य। (1992) 3 एससीसी 624:[1992] 3 एससीआर 683; कर्नाटक राज्य बनाम एम. के. एग्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड 2017 (12) स्केल 88-पर निर्भर किया गया।

राजस्थान राज्य और अन्य बनाम जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड और सत्य (2011) 12 एससीसी 518:[2011] 10 एससीआर 993; नवा भारत फेरो अलॉयज लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश संचरण निगम लिमिटेड और अन्य(2011) 1 एससीसी 216:[2010] 14 एस. सी. आर. 900-संदर्भित।

वाद नियम का संदर्भ

[2004) 4 पूरक एससीआर 868	अनुपयुक्त ठहराया गया	कंडिका 19
[1976] 1 एससीआर 38	अनुपयुक्त ठहराया गया	कंडिका 20
(1957) एससीआर 837	अनुपयुक्त ठहराया गया	कंडिका 22

[1996] 2 एससीआर 184	अनुपयुक्त ठहराया गया	कंडिका 22
[1985) 2 पूरक एससीआर 711	पर निर्भर किया गया	कंडिका 22
[1970] 3 एस.सी.आर. 383	पर निर्भर किया गया	कंडिका 24
[1980] 1 एससीआर 769	पर निर्भर किया गया	कंडिका 24
[1988] 3 पूरक।एससीआर 155	पर निर्भर किया गया	कंडिका 24
[1992] 3 एससीआर 683	पर निर्भर किया गया	कंडिका 25
2017 (12) स्केल 88	पर निर्भर किया गया	कंडिका 25
[1989] 2 एससीआर 37	पर निर्भर किया गया	कंडिका 26
[2007] 7 एससीआर 310	पर निर्भर किया गया	कंडिका 26
[2007] 6 एससीआर 525	पर निर्भर किया गया	कंडिका 26
[2015] 8 एससीआर 751	पर निर्भर किया गया	कंडिका 26
[2011] 10 एससीआर 993	पर निर्भर किया गया	कंडिका 29
[2010] 14 एससीआर 900	पर निर्भर किया गया	कंडिका 29

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्या 3018/2017

सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 2153/2011 में पटना में न्यायिक क्षेत्राधिकार के उच्च न्यायालय के दिनांक 22.10.2013 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

एसएलपी (सी) संख्या- 15875, 15899, 15900, 15893, 15926, 15896, 16192 / 2017

अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता, हृषिकेश बरुआ, सुश्री राधिका गुप्ता, प्रणव जैन, क्षितिज पालीवाल, सुद्धांत कौशिक, अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

एस. गणेश वरिष्ठ अधिवक्त्ता, सुश्री आभा आर. शर्मा, डी. एस. परमार, सुजीता श्रीवास्तव, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान अपील और विशेष अनुमति याचिकाएं अपीलकर्ता द्वारा उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर बिहार कर अधिनियम, 1993 (जिसे इसमें इसके बाद प्रवेश कर अधिनियम कहा गया है) के तहत प्रवेश कर के भुगतान के लिए की गई मांगों से उत्पन्न होती हैं।

2. अपीलकर्ता का बिहार राज्य में विपणन प्रभाग है जिसकी अन्य बातों के साथ-साथ, बरौनी और पटना में शाखाएं हैं। इन शाखाओं से पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री प्रभावित होती है। निगम को कच्चा तेल प्राप्त होता है, जो बिहार राज्य के बाहर से आयात किया जाता है, जो फिर बिहार में प्रवेश करता है, जहां निगम के पास अपनी तेल रिफाइनरी है और कुछ प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, कच्चे तेल को पेट्रोलियम उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल आदि।इन पेट्रोलियम उत्पादों का कुछ हिस्सा, अर्थात् हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल, अपीलकर्ता द्वारा दो अन्य तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), को बेचा जाता है जो तब पटना में स्थित निगम के डिपो से उत्पादों को लेते हैं और उसके बाद अपने खुदरा डीलरों को या अपने पेट्रोलियम आउटलेटों के माध्यम से उत्पादों को बेचते हैं। अपीलकर्ता, इन ओएमसी को की गई बिक्री के अलावा, उपर्युक्त पेट्रोलियम उत्पादों को स्थानीय खुदरा विक्रेताओं को और पटना में पेट्रोलियम आउटलेट के माध्यम से भी बेचते हैं। अपीलकर्ता 16% की दर से प्रवेश कर का भुगतान करता है जब उत्पाद पटना के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और 24.5% वैट का भुगतान किया जाता है

और स्थानीय क्षेत्र के भीतर की गई बिक्री के लिए प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (2) के दूसरे प्रावधान के तहत प्रवेश कर से छूट दी जाती है। बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (वैट अधिनियम) के तहत 4 मई, 2006 को जारी अधिसूचना के कारण अपीलकर्ता द्वारा वैट का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है, जहां अपीलकर्ता द्वारा ओएमसी को बेचे जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में स्वयं उपर्युक्त ओएमसी द्वारा अपने खुदरा विक्रेताओं को या सीधे अपने उपभोक्ताओं को बिक्री के बिंदु पर है, और यह मामला होने के कारण, अपीलकर्ता द्वारा दावा किए गए ऐसे वैट के मुआवजा की अनुमति 2014 वर्ष तक दी गई थी। तथापि, महालेखाकार, बिहार द्वारा उठाई गई कुछ लेखा आपत्तियों के परिणामस्वरुप, उपरोक्त मुआवजा, जिसे अपीलार्थी को दी गई थी, को निर्धारण वर्ष 2008-09 से फिर से खोल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप जिन मुआवजा की अनुमति दी गई थी, उन्हें अब अस्वीकृत कर दिया गया।वर्ष 2008-09 से लेकर वर्ष 2014-15 तक के निर्धारण वर्षों के लिए इस तरह के भत्ते न दिए जाने से उत्पन्न होने वाली प्रवेश कर की मांग 1,683.03 करोड़ रुपये है।

3. 2017 की सिविल अपील संख्या 3018 में, पटना उच्च न्यायालय के 22 अक्टूबर, 2013 के आक्षेपित निर्णय ने अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के साथ सहमति व्यक्त की, और प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (2) के दूसरे नियम के तहत अपीलकर्ता के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उपरोक्त नियम के तहत मुआवजा की अनुमति नहीं होगी।

4. हमारे समक्ष प्रस्तुत सात विशेष अनुमति याचिकाओं में, 19 अप्रैल, 2017 को एक सामान्य निर्णय में, पटना उच्च न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ ने निम्नलिखित रूप में पांच प्रश्नों को रखा हैः

> "i) क्या प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (2) का दूसरा प्रावधान संविधान के अधिकार क्षेत्र के बाहर है?

(ii) क्या प्रवेश कर अधिनियम के तहत प्रवेश कर के विलंब से भुगतान के मामले में बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर और प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 की सहायता से ब्याज लगाया जा सकता है?

(iii) क्या प्रवेश कर का भुगतान तब किया जाएगा जब माल केवल स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और ऐसी प्रविष्टि के बाद केवल स्थानीय क्षेत्र में माल का उपयोग की जरुरत नहीं रहने पर भी सिर्फ बेचा जा सकता है?

(iv) क्या वैट अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों के तहत अंकेक्षण की आपत्ति के आधार पर, मूल्यांकन को प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 की सहायता से आकंलन को फिर से शुरु किया जा सकता है?

(v) क्या वैट अधिनियम की धारा 33 के तहत किया गया मूल्यांकन वैट अधिनियम की धारा 31 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए चार साल की अवधि के बाद स्वीकार्य है?"

5. प्रश्न 1,3,4 और 5 का उत्तर करदाता के खिलाफ दिया गया था, लेकिन प्रश्न 2 का उत्तर यह कहते हुए करदाता के पक्ष में दिया गया था कि चूंकि ऐसा कोई ठोस प्रावधान नहीं था जिसके द्वारा ब्याज लगाया जा सके, इसलिए प्रश्नगत निर्धारण आदेशों द्वारा अपीलकर्ता से वसूल किए गए ब्याज को अलग करना होगा।

6. अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद दातार ने वैट अधिनियम, इसके तहत बनाए गए नियमों और फॉर्म आर० टी०-1 के विभिन्न प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया है। उसने प्रवेश कर के विभिन्न प्रावधानों का भी विस्तार से उल्लेख किया है। यह उनका मामला है कि बिहार में प्रवेश कर अधिनियम, अन्य प्रवेश कर अधिनियमों के विपरीत, अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए था कि राज्य में वैट अधिनियम के तहत वैट का संग्रह किया जाए।उनके अनुसार, जैसे ही उक्त

अधिनियम की अनुसूची 4 में निहित उत्पादों पर कर लगता है, प्रविष्टि कर अधिनियम की योजना यह है कि ऐसी वस्तुओं पर, जिन पर वैट लगता है, मुआवजा करने की अनुमति है।विद्वान वकील के अनुसार, धारा ३ (२) के दूसरे नियम का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए जो इस उद्देश्य के अनुरूप हो और, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है, इसलिए, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है.विद्वान वकील के अनुसार, यह स्पष्ट है कि 2014 तक मुआवजा देने की अनुमति देने की इस प्रचलन का पालन किया गया था, जो दर्शाता है कि सरकार के साथ-साथ करदाता दोनों को स्पष्ट रुप से पता था कि प्रावधान का इस तरह से पालन किया जाना था.वर्ष 2008-09 से किए गए आकलन को पूर्वव्यापी रूप से फिर से शुरु करने का कारण केवल वर्ष 2014 में उठाए गए एक ऑडिट आपत्ति है, जिसके बाद करदाता ने इन मामलों को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि मुआवजा का दावा किया जा सकता है और वास्तव में अधिकारियों द्वारा इसकी अनुमति दी गई है।विद्वान वकील के अनुसार, अंकेक्षण की आपत्ति स्वयं केवल इस आधार पर थी कि 2006 के संशोधन ने प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) में निहित 'वस्तुओं की प्रविष्टि' की परिभाषा को बदल दिया था और यही कारण है कि मुआवजा देने की अनुमति नहीं दी गई थी, न कि राज्य द्वारा बाद में दिए गए कारणों से। विद्वान वकील के अनुसार, जो देखा जाना है वह प्रवेश कर अधिनियम के तहत वस्तुओं की समग्र तस्वीर है और एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त वस्तुओं पर वैट लगता है, तो एक मुआवजा देय हो जाता है। विद्वान वकील के अनुसार, 1,683.03 करोड़ रुपये का एक बड़ा हिस्सा जिसकी मांग की जाती है, वह पटना के स्थानीय क्षेत्र के बाहर एचपीसीएल और बीपीसीएल द्वारा की गई बिक्री से संबंधित है, इसलिए, जिससे प्रवेश कर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसे अलग नहीं किया गया है और यदि अलग किया जाता है तो प्रश्नगत निर्धारण वर्षों में इसकी मांग में कम से कम 1,000 करोड़ रुपये की कमी आएगी। अपीलकर्ताओं को इस तथ्य को विस्तार से प्रदर्शित करने का कोई अवसर नहीं दिया गया कि वे प्रश्नगत सभी निर्धारण वर्षों के लिए एचपीसीएल और बीपीसीएल द्वारा प्रमाण पत्र देने में सक्षम थे कि वास्तव में, उन कंपनियों ने पटना के क्षेत्र के बाहर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की थी।

7. श्री दातार के अनुसार, यदि यह न्यायालय धारा 3 (2) द्वितीय नियम के निर्माण पर अपीलार्थी के खिलाफ निर्णय देता है तो, किसी भी स्थिति में, वह सफल होने के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि इसे संवैधानिक रूप से वैध बनाने के लिए उक्त नियम को नीचे पढ़ा जाना चाहिए, अन्यथा यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।विद्वत वकील के अनुसार, एक ही माल पर कर की अलग-अलग दरें नहीं हो सकतीं, जिसका सार अंततः उपभोक्ताओं पर ही पड़ता हैं और यह प्रत्यक्ष भेदभाव, इसलिए, कानून में गलत होगा, जिससे न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना होगा ताकि, जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, एक मुआवजा दिया जा सके। इसके अलावा, उनके अनुसार, किसी भी मामले में, यह मामला अपीलीय न्यायाधिकरण के पास वापस जाना चाहिए कि एचपीसीएल और बीपीसीएल द्वारा की गई बिक्री का कितना हिस्सा पटना क्षेत्र के बाहर होगा और इसलिए, प्रवेश कर के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।

8. राजस्व विभाग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. गणेश ने इन सभी दलीलों का विरोध किया है।विद्वान वकील के अनुसार, प्रवेश कर अधिनियम की धारा ३ (२) के दूसरे नियम का एक सादा पठन यह स्पष्ट करेगा कि प्रावधान करदाता आधारित है, न कि माल आधारित विद्वान वकील के अनुसार, दूसरे नियम की शर्तों में से किसी को भी अपीलार्थी द्वारा पूरा नहीं किया गया है और केवल यदि उक्त प्रावधान पूरी तरह से फिर से लिखा जाता है, तो क्या अपीलकर्ता को राहत दी जा सकती है? उपर्युक्त प्रावधान का पुनर्लेखन, विधायी कार्य होने के नाते, न्यायपालिका के दायरे से बाहर होगा।विद्वान वकील के अनुसार, किसी भी मामले में, वैट और प्रवेश कर सातवीं अनुसूची की सूची 2 की अलग प्रविष्टियों के तहत लगाए गए अलग-अलग कर हैं। मुआवजा मंजूर करना अनुकम्पा का विषय है और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि एक ही व्यक्ति को मुआवजा का दावा करने के लिए प्रवेश कर और वैट दोनों का भुगतान करना चाहिए था। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता बेशक केवल प्रवेश कर का भुगतान करता है और वैट नहीं देता है क्योंकि अपीलकर्ता पर कोई लेवी नहीं है जब वह अन्य ओएमसी को तेल बेचता है। विद्वान वकील के अनुसार, किसी भी स्थिति में, दूसरे नियम को रद्द करने का परिणाम केवल

किसी भी तरह से दावा करने योग्य नहीं होगा और प्रतिकूल होगा। विद्वान वकील ने एक जोरदार बहस किया कि कम से कम क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार को ब्याज दिया जाना चाहिए क्योंकि रिट याचिकाओं जो 2014 में दायर की गई उसमें स्थगन आदेश जारी किए जो आज तक जारी हैं, जिससे राज्य के लिए मांगी गई मांगों पर ब्याज वसूलना असंभव हो गया है।उन्होंने इन सभी प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए कई निर्णयों का हवाला दिया।

9. दोनों पक्षों के विद्वान परामर्शी को सुनने के पश्चात्, प्रश्नगत दोनों अधिनियमों के कुछ उपबंधों का उल्लेख करना आवश्यक है। चूंकि हमारा सीधा संबंध बिहार प्रवेश कर अधिनियम से है, इसलिए निम्नलिखित प्रावधानों को ध्यान में रखने की आवश्यकता हैः

> "2. परिभाषाएं- (1) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
>
> (ग) '' माल की प्रविष्टि '' से, उसके सभी व्याकरणिक विभिन्नताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित, का अर्थ है माल की प्रविष्टिः
>
> (i) ऐसे क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से किसी स्थानीय क्षेत्र में,
>
> (ii) राज्य के बाहर किसी स्थान से किसी स्थानीय क्षेत्र में,
>
> (iii) भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए.
>
> बशर्ते कि बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 (1) के तहत कर योग्य ऐसी वस्तुओं के मामले में, वस्तुओं की प्रविष्टि का अर्थ राज्य के बाहर किसी भी स्थान से स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए वस्तुओं का प्रवेश होगा।
>
> व्याख्या-किसी भी स्थान से उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं की प्रविष्टि, भारत के राज्यक्षेत्र से

बाहर, को भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए माल की प्रविष्टि समझा जाएगा।

3. कर का प्रभारः-(1) राज्य में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के विकास के प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिए अनुसूचित वस्तुओं के प्रवेश पर ऐसी दर पर, जो ऐसी वस्तुओं के आयात मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी शर्तों के अध्यधीन लगाया और संगृहीत किया जाएगाः

बशर्ते विभिन्न अनुसूचित वस्तुओं के लिए अलग-अलग दरें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।बशर्ते यह कि यदि कोई आयातक यह दावा करता है कि उसने उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित वस्तुओं का आयात उपभोग, उपयोग या विक्रय के प्रयोजन के लिए नहीं किया है, तो यह साबित करने का भार कि आयात उपभोग, उपयोग या विक्रय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए था, ऐसे वस्तुओं का आयात करने वाले और ऐसा दावा करने वाले आयातक पर होगा।

बशर्ते यह कि यदि कोई आयातक यह दावा करता है कि उसने उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित माल का आयात उपभोग, उपयोग या विक्रय के प्रयोजन के लिए नहीं किया है, तो यह प्रावधान करने का भार कि आयात उपभोग, उपयोग या विक्रय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए था, ऐसे माल का आयात करने वाले और ऐसा दावा करने वाले आयातक पर होगा।

(आईए) उप-धारा (1) के तहत कर तब तक लगाया जाता रहेगा जब तक राज्य के भीतर बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, सड़क,

बाजार की स्थिति आदि में सुधार करने के लिए आवश्यक है, ताकि व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के लिए बेहतर बाजार स्थिति को सुगम बनाया जा सके और इसे राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाया जा सके।

(2) इस अधिनियम के तहत उद्ग्रहणीय कर का भुगतान बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक डीलर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो अपने स्वयं के खाते में या अपने मूलधन के कारण या सुपुर्दगी लेता है या ऐसी प्रविष्टि पर ऐसी वस्तुओं की सुपुर्दगी लेने का हकदार हैः

बशर्ते कि डीलर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रभावित ऐसी अनुसूचित वस्तुओं की प्रविष्टि के संबंध में कोई कर नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि इस तरह के माल का मूल्य एक वर्ष में एक हजार से अधिक न हो।

परंतु यह और कि जहां इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अनुसूचित वस्तुओं का एक आयातक, बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा 14 के तहत निर्दिष्ट दर से, आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री या इस तरह के आयातित अनुसूचित वस्तुओं का उपयोग करके विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री के आधार पर कर देनदारी का भुगतान करता है, वहां बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) के तहत उसकी कर देनदारी इस अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगीः

परंतु यह भी कि यदि बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 के तहत जारी किसी अधिसूचना के तहत इस तरह की अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री को कर से छूट दी जाती है, तो बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत उसकी देनदारी में कमी नहीं की जाएगी, जैसा कि इस धारा में प्रावधान किया गया है या इसके तहत कोई अधिसूचना जारी की गई है।

(1) उक्त अधिनियम की धारा 3 में किए गए संशोधन को सभी प्रयोजनों के लिए, वैधता के रूप में और सभी तात्विक समय पर प्रभावी रूप से लागू माना जाएगा (25 फरवरी, 1993 से प्रभावी)।

(2) बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अधीन किया गया कोई निर्धारण, संग्रहण, समायोजन, कटौती या संगणना या की गई कोई अन्य कार्रवाई या की गई कोई बात तात्पर्यित है। उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर बिहार कर अधिनियम, 1993 और उसके तहत जारी अधिसूचनाएं और बनाए गए नियम सभी प्रयोजनों के लिए, विधिमान्य और प्रभावी रूप से, निर्धारित, एकत्र, समायोजित, कम किया गया, संगणित या लिया गया या किया गया माना जाएगा और हमेशा किया गया है मानो इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अधिनियम सभी महत्वपूर्ण समय पर लागू था और तदनुसार, किसी भी न्यायालय, या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी भी बात के होते हुए भी:-

(क) ऐसे कर संग्रह के माध्यम से प्राप्त या वसूल की गई किसी रकम के प्रतिदाय के लिए न्यायालय या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी में कोई वाद या अन्य कार्यवाही जारी नहीं रखी जाएगी.

(ख) बिहार कर की धारा 3 की उपधारा (2) के तीसरे प्रावधान के अनुसार उपभोग,

(ग) उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर अधिनियम, 1993 की सभी राशियों की वसूली की जाएगी जो एकत्र की जा सकती थी। इस अध्यादेश द्वारा धारा 3 में किए गए संशोधन के कारण उक्त अधिनियम के तहत कर के रूप में लेकिन जिसे एकत्र नहीं किया गया था।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या त्रुटि ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

बशर्ते कि किसी विनिर्माता के मामले में उपरोक्त कर देनदारी में कमी की अनुमति केवल लघु क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र और बीमार औद्योगिक इकाइयों को दी जाएः

बशर्ते कि कर में उक्त कमी विनिर्माता के लिए उपलब्ध होगी यदि आयातित अनुसूचित वस्तुओं का उपयोग उन वस्तुओं के विनिर्माण में किया जाता है या उपभोग किया जाता है जो बिहार राज्य के भीतर या अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान बेची जाती हैं।यदि आयातित अनुसूचित माल से विनिर्मित माल का केवल एक भाग बिहार राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान बेचा जाता है तो कर दायित्व में कमी का दावा आनुपातिक रूप से कम हो जाएगाः

बशर्ते कि कर देनदारी में इस तरह की कटौती केवल तभी स्वीकार्य होगी जब डीलर बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम 27) की धारा-24 के तहत दाखिल किए गए रिटर्न में उस संख्या, तारीख और चालान की राशि का विशेष रूप से उल्लेख करता है जिसके संबंध में कटौती का दावा किया गया है।

(3) अनुसूचित वस्तुओं पर कर का भुगतान करने का दायित्व केवल एक स्थानीय क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करने के बिंदु पर होगा और किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र या उक्त अनुसूचित वस्तुओं के क्षेत्रों में किसी भी बाद की प्रविष्टि या प्रविष्टियों पर कर नहीं लगेगा, बशर्ते कि बाद में आयातक व्यापारी निर्धारण अधिकारी के समक्ष उस नकद ज्ञापन, चालान, बिल या चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करता है, जिससे उसने उक्त अनुसूचित वस्तुओं को खरीदा या प्राप्त किया था और निर्धारित प्रपत्र और तरीके से एक सही और पूर्ण घोषणा प्रस्तुत करता हैः

बशर्ते किसी ऐसे मोटर वाहन के संबंध में, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उस अधिनियम के अधीन उस राज्य में पंजीकृत होने की तारीख से पंद्रह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत था, कोई कर उद्गृहीत और संगृहीत नहीं किया जाएगा।

बिहार स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर नियम, 1993

8. देयता में कमी का दावा करने का तरीका बिक्री कर का भुगतान करने के लिए - (1) बिक्री कर के भुगतान के दायित्व में कमी का दावा पंजीकृत डीलर द्वारा किया जाएगा जो धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत या अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार इस तरह की कटौती का दावा करने का हकदार है।

(2) दावा तभी मान्य होगा जब संबंधित वस्तुओं पर प्रवेश कर की राशि का भुगतान कर दिया गया हो।

(3) बिक्री कर में कमी के दावे को साबित करने का बोझ डीलर पर होगा।

(4) इस तरह का दावा ईटी-एक्स फॉर्म में तीन प्रतियों में एक विवरण प्रस्तुत करके किया जाएगा, जिसे तिमाही रिटर्न के साथ दाखिल किया जाएगा।

(5) फॉर्म ईटी-एक्स में दावा प्राप्त होने पर कर निर्धारण के लिए निर्धारित प्राधिकारी अगली तिमाही रिटर्न दाखिल करने की तारीख से पहले इसकी जांच करेगा और दावे की सत्यता के बारे में संतुष्ट होगा।वह डीलर के मूल्यांकन रिकॉर्ड में उचित पृष्ठांकन करेगा और उक्त प्रपत्र में प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा।

(6) निर्धारण प्राधिकारी के प्रमाणपत्र वाले विवरण की दो प्रतियां डीलर को लौटा दी जाएंगी।वह प्रपत्र की एक प्रति बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ताकि वह उक्त अधिनियम के तहत देय बिक्री कर के निर्धारण के समय डीलरों की देनदारी को कम कर सके और अन्य प्रति को अपने पास साक्ष्य के रूप में रखेगा।

फॉर्म ईटी-एक्स

(नियम 8 देखें)

प्रवेश कर के भुगतान के परिणामस्वरूप बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत देय बिक्री कर के दायित्व में कमी के लिए दावे का विवरण।

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा)

1.डीलर का नाम

2. व्यवसाय की शैली और पूर्ण पता

3. जी. का ज्ञ पर बी. टी. के तहत एल. ए. ऑर्डर, 1993 में पंजीकरण संख्या

4. बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अधीन पंजीकरण सं.

5. अवधि जिससे दावा संबंधित है।

मैं (डीलर का पूरा नाम) बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत देय बिक्री कर के अपने दायित्व में कमी करने का अनुरोध करता हूं, जो उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं की प्रविष्टि पर बिहार कर अध्यादेश, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रावधान के अनुसार धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत उन वस्तुओं के संबंध में जारी किया गया है, जिन पर मेरे द्वारा प्रवेश कर का भुगतान किया गया है और जो बाद में बेचे गए हैं और बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत बिक्री कर देय हो गया है।

विवरण

क्र. सं.	अनुसूची वस्तुओं का विवरण जिन पर प्रवेश कर का भुगतान कर दिया गया है	मोटर वाहनों के मामले में संबंधित विधेयक/चालान संख्या और तिथि चेसिस नम्बर और इंजन नम्बर का भी उल्लेख करें।	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5

भुगतान किए गए प्रवेश कर की राशि (उद्धरण	बिक्री की अवधि	सी. सी. एम. बिल/चालान	देय बिक्री	देयता में कमी के बाद देय	टिप्पणियां

टी. सी. संख्या और तिथि)		संख्या और बिक्री से संबंधित तिथि	कर	बिक्री कर	
6	7	8	9	10	11

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं और प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार एकत्र किए गए हैं और पूर्ण किए गए हैं।

मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि इस स्टेटमेंट में दिखाए गए एंट्री टैक्स की राशि का भुगतान मैंने किया है।

डीलर या उसके घोषित प्रबंधक के हस्ताक्षर।

प्रमाण पत्र

(मूल्यांकन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)

यह प्रमाणित किया गया है कि इस बयान में दिए गए विवरण की मैंने जांच की है और इसे सही पाया है। संबंधित माल पर प्रवेश कर की राशि, जिस सीमा तक बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत बिक्री कर को घटाने का दावा किया गया है, जिसका भुगतान डीलर द्वारा विधिवत किया गया है।

प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम”

10. जहां तक बिहार वैट अधिनियम का संबंध है, निम्नलिखित उपबंधों का निर्देश करना आवश्यक हैः

“3. कर का प्रभारण- (1) प्रत्येक डीलर जो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) के तहत पंजीकृत है, जैसा कि यह धारा 94 द्वारा इसे निरस्त करने से पहले था, इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके बाद, उसके द्वारा किए

गए बिक्री या खरीद पर इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) प्रत्येक डीलर, जिसे उपधारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और जिसका सकल बिक्री कारोबार अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले के दिन समाप्त होने वाले वर्ष के प्रारंभ से परिकलित किया गया है, वह बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत, जैसा कि धारा 94 द्वारा इसे निरस्त करने से पहले उसे लागू था, ऐसे वर्ष के अंतिम दिन, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत उसके द्वारा देय कर के अलावा, यदि कोई हो, इस अधिनियम के तहत उसकी सभी बिक्री पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) प्रत्येक डीलर, जिसे उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा -

(क) उसके द्वारा बिहार के बाहर किसी स्थान से आयात किए गए सभी माल की बिक्री पर, उस दिन से, जिस दिन वह ऐसे माल की पहली बिक्री करता है. या

(ख) किसी अन्य दशा में, उस तारीख से, जिसको उसका सकल आवर्त अधिक से अधिक न होने वाली अवधि के दौरान है, बारह महीने पहले निर्धारित कर योग्य मात्रा से अधिक:

बशर्ते इस उपधारा के अधीन निर्धारित कर योग्य मात्रा दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि विभिन्न वर्गों के डीलरों के लिए अलग-अलग कर योग्य मात्रा निर्धारित की जाए।

13. बिक्री की श्रृंखला में बिंदु या बिंदु जिस पर बिक्री कर लगाया जाएगा - (1) (क) धारा 16 और धारा 17 के प्रावधानों के तहत बिहार में बिक्री की एक श्रृंखला में प्रत्येक बिंदु पर इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी एक डीलर द्वारा वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाया जाएगा।

(ख) जहां कर विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर लगाया जाता है, वहां किसी भी बिन्दु पर डीलर द्वारा संदेय कर वह रकम होगी जो विक्रय के उस बिन्दु पर संगणित कर में से धारा 16 या धारा 17 के अधीन विनिर्दिष्ट इनपुट कर क्रेडिट की कटौती करने के पश्चात् प्राप्त हुई है।

(2) (क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर कर राज्य में विक्रयों की श्रृंखला में ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर लगाया जाएगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(ख) जहां खंड (क) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी माल के संबंध में यह विनिर्दिष्ट करती है कि बिहार राज्य में एक डीलर द्वारा उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लागया जाएगा, वहां बिहार राज्य में उसी माल की पश्चात्वर्ती बिक्री पर कर नहीं लगाया जाएगा, यदि बाद में विक्रय करने वाला डीलर उसे जारी किए गए नकद ज्ञापन या बीजक या बिल की मूल प्रति विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है और प्ररूप में और विहित रीति से एक सत्य और पूर्ण घोषणा फाइल करता है।

(ग) जहां खंड (क) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी माल के संबंध में यह

विनिर्दिष्ट करती है कि कर एक से अधिक बिन्दुओं पर या विक्रय के सभी बिन्दुओं पर लगाया जाएगा, वहां विक्रय के प्रत्येक पूर्ववर्ती प्रक्रम पर देय कर की रकम को विक्रय के प्रत्येक पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर देय कर की रकम के साथ विहित रीति से समायोजित किया जाएगा।

(घ) खंड (ख) में उल्लिखित कथन बिक्री करने वाले डीलर द्वारा क्रय करने वाले डीलर को उस वर्ष के बाद वाले वर्ष के 30 सितंबर तक जारी की जाएगी, जिससे ऐसी बिक्री संबंधित है।

(3) यदि सूचना के आधार पर, विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि विक्रेता डीलर, उचित कारण के बिना, क्रय डीलर को उप-धारा (2) में उल्लिखित घोषणा जारी करने में विफल रहा है, तो वह विक्रय डीलर को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद, यह निर्देश देगा कि विक्रय डीलर प्रत्येक महीने के लिए पांच हजार रुपये प्रति माह की राशि या शामिल कर की राशि, जो भी कम हो, का भुगतान करेगा।

14. कर की दर- (1) कर निम्नलिखित की बिक्री मूल्य पर देय होगा-

(क) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट माल, एक प्रतिशत की दर से

(ख) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट माल, छह प्रतिशत की दर से

(खख) अनुसूची 3 क में विनिर्दिष्ट माल, पांच प्रतिशत की दर से

(ग) अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट माल, दस प्रतिशत से कम नहीं और पचास प्रतिशत से अधिक नहीं दर पर और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

(घ) कोई अन्य माल, जो अनुसूची I, II, III, III और IV में विनिर्दिष्ट नहीं है, पंद्रह प्रतिशत की दर से.

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की किसी अनुसूची में परिवर्तन कर सकेगी।

16. इनपुट टैक्स क्रेडिट (3) उप-धारा (1) के तहत किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जाएगा या किसी पंजीकृत डीलर को अनुमति नहीं दी जाएगी -

(क) अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट माल या ऐसे अन्य माल के संबंध में, जो विहित किए जाएं

35. कर योग्य कारोबार- (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक डीलर का कर योग्य कारोबार उसके सकल कारोबार का वह हिस्सा होगा जो उसमें से कटौती करने के बाद बना रहता है -

(च) अधिनियम की अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट ऐसे माल के विक्रय के पश्चात्वर्ती प्रक्रमों पर विक्रय मूल्य, जो बिहार राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर के अधीन है, यदि धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित आवश्यक साक्ष्य धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन डीलर द्वारा फाइल किए गए विवरणी के साथ फाइल किए जाते हैं।

अनुसूची-IV

(देखें धारा 14)

	वस्तुएं
1	देशी शराब जिसमें मसाला देसी शराब भी शामिल है।
2.	पोर्टेबल स्पिरिट, वाइन या शराब चाहे वह भारत में आयातित हो या निर्मित हो।

3	हाई स्पीड डीजल ऑयल और लाइट डीजल ऑयल।
4	मोटर भावना।
5	प्राकृतिक गैस
6	विमानन टर्बाइन ईंधन
7	बीड़ी और अनिर्मित तंबाकू (जिसे आमतौर पर खैनी के रूप में जाना जाता है) को छोड़कर तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, और बीड़ी के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला अन्य अनिर्मित तंबाकू।

बिहार मूल्य वर्धित कर नियम, 2005

18. कर योग्य कारोबार-धारा 35 के प्रयोजनों के लिए डीलर का कर योग्य कारोबार उसके सकल कारोबार का वह हिस्सा होगा जो उसमें से कटौती करने के बाद बना रहता हैः

(6) ऐसे माल के विक्रय के पश्चात्वर्ती स्तरों पर विक्रय मूल्यः

(क) अधिनियम की अनुसूची 4 में बिहार में उनकी बिक्री के पहले बिंदु पर कर के अधीन होने के रूप में विनिर्दिष्ट, या

(ख) उस विक्रय पर जिसका अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर बिहार में विक्रय के प्रथम बिन्दु पर दिया गया है,

यदि धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित आवश्यक साक्ष्य धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत डीलर द्वारा दाखिल किए गए आवश्यक रिटर्न के साथ संलग्न किया जाता है।

19. रिटर्न - [(2) धारा 15 की उप-धारा (1) या उप-धारा (1 ए) या उप-धारा (4) के तहत कर का भुगतान करने वाले डीलर के अलावा प्रत्येक पंजीकृत डीलर को नियम 62 में निर्दिष्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगाः- (क) आरटी-I फॉर्म में एक तिमाही रिटर्न

डुप्लीकेट में (ख) आरटी-III फॉर्म में एक वार्षिक रिटर्न डुप्लीकेट में।

बशर्ते कि प्रत्येक पंजीकृत डेवलपर, जिसने प्रावधानों के तहत चक्रवृद्धि कर का भुगतान करने का विकल्प चुना है बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15सी तहत इस अधिनियम के तहत देय कर के बदले में नियम 62 में निर्दिष्ट प्राधिकरण को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना होगाः

(क) आरटी-आईए इंटीमेट फॉर्म में तिमाही रिटर्न

(ख) आरटी-आईआईआईबी फॉर्म में वार्षिक रिटर्न।

फॉर्म आरटी-I

[नियम 19 (2) देखें]

बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 के तहत तिमाही रिटर्न

डीलर का नाम और शैलीःटिनः

रिटर्न की अवधि (तिमाही और वर्ष):भाग-I (टर्नओवर/हस्तांतरण का विवरण)

1	सकल कारोबार (डेबिट टिप्पणियाँ के मूल्य सहित):
	कटौतियां:
2.	अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री
3(i)	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत राज्य के बाहर बिक्री का मूल्य
3(ii)	राज्य के बाहर स्टॉक अंतरण का मूल्य

4	अधिनियम के तहत बिक्री के 6 महीने के भीतर वस्तुओं की बिक्री रिटर्न का मूल्य
5	निर्यात बिक्री
6	अन्य स्वीकार्य कटौतियों की राशि [बॉक्स ए के अनुसार]
7	कुल कटौतियां [2 + 3 + 4 + 5 + 6]
8	कर योग्य कारोबार [1-7]

बॉक्स ए (अन्य स्वीकार्य कटौती)

	निम्नलिखित के कारण कटौती:	मूल्य
(ii)	एक तेल कंपनी द्वारा दूसरी तेल कंपनी को पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस की बिक्री (इस विवरणी में विभिन्न वस्तुओं की सूची उनके संबंधित बिक्री मूल्यों के साथ अलग-अलग संलग्न की जानी है) [विभिन्न कंपनियों को बेची गई वस्तुओं का विवरण बॉक्स ई-2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है]	

11. वैट अधिनियम की धारा 13 (2) (ए) के तहत 4 मई, 2006 को जारी अधिसूचना इस प्रकार हैः

> "बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ने यह निर्देश दिया है कि यहां संलग्न सारणी के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर उक्त सारणी के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट बिक्री की श्रृंखला में प्वाइंट या प्वाइंट्स पर उक्त सारणी के कॉलम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन कर लगाया जाएगा।

तालिका

	वस्तुओं का विवरण	वह चरण जिस पर कथित कर लगाया जाना है	शर्तें और प्रतिबंध
1	मोटर स्पिरिट	(क) आयातक द्वारा विक्रय	

	(पेट्रोल)	स्थल पर यदि माल बिहार के बाहर से आयात किया जाता है या विक्रय स्थल पर विनिर्माता यदि माल बिहार में निर्मित किया जाता है या (ख) तेल कंपनियों द्वारा खुदरा विक्रेता को बिक्री के बिंदु पर या उपभोक्ताओं को सीधे, यदि इन कंपनियों द्वारा माल बेचा जाता है।	
2	हाई स्पीड डीजल ऑयल और लाइट ऑयल	जैसा ऊपर लिखा जाता है ।	

12. चूंकि प्रश्नगत मुआवजा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (2) के गलत अर्थ पर निर्भर करता है, इसलिए आरंभ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त उपबंध के अधीन मुआवजा दिये जाने के दावे के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने की आवश्यकता हैः

(i) पहला और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 3 (2) के तहत ही, प्रवेश कर के रूप में लगाए जाने वाले कर का भुगतान केवल प्रत्येक डीलर द्वारा किया जा सकता है जो वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(ii) मुआवजा केवल तभी दिया जा सकता है जब निर्धारिती (जिस पर कर लगाया जाता है) अनुसूचित वस्तुओं का आयातक है, जो वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

(iii) निर्धारिती को वैट अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्दिष्ट दरों पर कर देनदारी देनी होगी।

(iv) यह केवल आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री के आधार पर होना चाहिए।

(v) वैट अधिनियम के तहत उसकी कर देनदारी इस अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगी।

13. वैट अधिनियम की धारा 3 (1) के अधीन वे सभी व्यक्ति जो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अधीन पंजीकृत डीलर हैं, जैसा कि यह अधिनियम निरस्त होने से पूर्व था, उनके द्वारा की गई बिक्री और क्रय पर उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के लिए दायी हैं। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत एक पंजीकृत डीलर है और इस प्रकार वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

14. जहां तक शर्त (ii) का संबंध है, अपीलकर्ता अनुसूचित वस्तुओं का आयातक है, जैसे, पेट्रोलियम उत्पाद।प्रविष्टि कर अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो वैट अधिनियम के तहत उन्हें दिया गया है (प्रविष्टि कर अधिनियम की धारा 2 (2) देखें)।वैट अधिनियम के तहत आयातक को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

> "2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः
>
> (त) " आयातक " से ऐसा डीलर अभिप्रेत है जो बिहार राज्य में माल लाता है या जिसे बिहार राज्य के बाहर किसी स्थान से कोई माल भेजा जाता है"

उपर्युक्त परिभाषा से यह देखा जा सकता है कि आयातक आवश्यक रूप से ऐसे डीलर को संदर्भित करेगा जो राज्य के बाहर से अनुसूचित वस्तुओं का आयात करता है।सवाल यह उठता है कि क्या आयातक के रूप में अपीलकर्ता वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

15. जैसा कि वैट अधिनियम की धारा 13 (1) से स्पष्ट है, अनुसूची II और III वस्तुओं की सभी बिक्री को उक्त अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए

उत्तरदायी डीलर द्वारा बिक्री की श्रृंखला में प्रत्येक बिंदु पर कर का भुगतान करना पड़ता है। यह योजना आमतौर पर सभी अनुसूची II और III वस्तुओं पर लागू होती है। हालांकि, जब अनुसूची 4, मद 3 में निर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर कर की बात आती है, जिसमें हाई स्पीड डीजल तेल और हल्का डीजल तेल शामिल है, तो इस अधिनियम के तहत लेवी केवल उसी बिंदु पर है जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।यह हमें दिनांक 4 मई, 2006 की अधिसूचना पर ले आता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल तेल और हल्के डीजल तेल की बात आती है, तो यह उगाही तेल कंपनियों द्वारा खुदरा विक्रेता को या सीधे उपभोक्ता को बिक्री के बिंदु पर है।पूर्वोक्त अधिसूचना को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि जब बीपीसीएल और एचपीसीएल को अपीलकर्ता द्वारा कोई बिक्री की जाती है, तो इस बिंदु पर किसी भी वैट की कोई उगाही नहीं है.वैट केवल बिक्री श्रृंखला के अगले बिंदु पर लगाया जाता है, जो बीपीसीएल और एचपीसीएल से उनके खुदरा विक्रेताओं और/या उपभोक्ताओं को बिक्री है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दूसरी शर्त पूरी नहीं की गई है क्योंकि अनुसूचित वस्तुओं का आयातक यानी अपीलकर्ता वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है।

16. जहां तक शर्त (iii) का संबंध है, अपीलकर्ता पर कोई लेवी नहीं होने के कारण, अपीलकर्ता को वैट अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्दिष्ट दरों पर कोई कर देनदारी नहीं उठानी पड़ती है।

17. जहां तक शर्त (iv) का संबंध है, किसी भी मामले में, यह बहुत ही आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री के आधार पर होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि बिक्री अपीलकर्ता द्वारा ही की जानी चाहिए न कि अन्य ओएमसी द्वारा इस उपबंध के दूसरे भाग से यह स्पष्ट है जो इस प्रकार हैः.....

> “..... या ऐसे आयातित अनुसूचित वस्तुओं का उपभोग करके विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री.....”

18. इसके अतिरिक्त, शर्त (v) यह होनी चाहिए कि 'उसके' अर्थात वैट अधिनियम के अधीन अपीलकर्ता की कर देयता कम हो जाएगी और यह केवल अधिनियम के अधीन दिये गये कर की सीमा तक है। यह शर्त भी पूरी नहीं की गई है क्योंकि मुआवजा वाला व्यक्ति विशिष्ट है और मुआवजा माल विशिष्ट नहीं है, जैसा तब राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश द्वारा सही ढंग से प्रतिवाद किया जाता है।

19. इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि धारा 3 (2) के दूसरे नियम के शाब्दिक पठन पर, अपीलार्थी मुआवजा का दावा करने का हकदार नहीं होगा। हालांकि, श्री दातार ने ऐसोसिऐटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड बनाम बिहार और अन्य, (2004) 7 एससीसी 642 के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया। इस फैसले में, बिहार राज्य के विभाजन के बाद अपीलकर्ता की दो विनिर्माण इकाइयां झारखंड राज्य में गिर गईं। अतिरिक्त उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए एक औद्योगिक नीति के लिए धन्यवाद, अपीलकर्ता को उपर्युक्त के संदर्भ में मिली। प्रश्नगत अवधि के लिए अतिरिक्त उत्पादन पर बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गयी थी। प्रवेश कर अधिनियम, जैसा कि वह उस समय था, निर्णय में निर्धारित किया गया था और इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि, इस तथ्य के बावजूद कि सीमेंट पर बिक्री कर को छूट दी गई थी, अपीलकर्ता को एक व्यक्ति माना गया था जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था क्योंकि छूट का प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होगा जब पहले स्थान पर कर का भुगतान करने का दायित्व होगा। अपीलार्थी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, लेकिन छूट के लिए, और चूंकि उसने अतिरिक्त उत्पादन के अलावा मूल उत्पादन पर कर का भुगतान किया था, इसलिए वह प्रवेश कर अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर का मुआवजा करने का हकदार होगा। कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अभिव्यक्ति को लागू करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था क्योंकि छूट का प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होगा जब सबसे पहले कर का भुगतान करने का दायित्व होगा। सीमेंट, प्रासंगिक समय पर 'अनुसूचित' माल था और इसलिए, ऐसे माल पर बिक्री कर का भुगतान किया जाना था। यह केवल इसके तहत जारी छूट अधिसूचना

अधिनियम की धारा 7 के कारण है जैसा कि वह तब था, जब कि सीमेंट के अतिरिक्त उत्पादन को बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई थी। वर्तमान मामले में कोई छूट नहीं है।हम पहले ही देख चुके हैं कि अपीलकर्ता वैट अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत एक पंजीकृत डीलर है और वह प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (2) के अधिनियमित भाग के अर्थ में उपरोक्त अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी एक डीलर होगाएसीसी (उपर्युक्त) के मामले में, सीमेंट पर लेवी हमेशा थी, क्योंकि यह एक अनुसूचित वस्तु थी, एक अपवाद के रूप में छूट के माध्यम से केवल सीमेंट के अतिरिक्त उत्पादन पर अनुमति दी गई थी। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति 'आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री आधार पर' या ऐसे आयातित अनुसूचित वस्तुओं के उपभोग द्वारा विनिर्मित वस्तओं की बिक्री कोबाद में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और यह धारा 3 (2) के दूसरे परन्तुक में शामिल नहीं था, जिसका अर्थ एसीसी (उपर्युक्त) मामले में लगाया गया था।इस शर्त को स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में पूरा नहीं किया गया है जैसा कि हमने इसमें ऊपर कहा है।किसी भी मामले में, उपर्युक्त निर्णय के प्रभाव को बिहार वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा धारा 3 (2) में एक तीसरे प्रावधान को जोड़कर अमान्य कर दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि छूट प्राप्त वस्तुएं मुआवजा करने की हकदार नहीं होंगी। इन सभी कारणों से, हमारा विचार है कि यह निर्णय अपीलार्थी के मामले को बहुत आगे नहीं ले जाता है।

20. श्री दातार ने तमिलनाडु बनाम एम. के. कंडास्वामी और अन्य, (1975) 4 एससीसी 745, पर भी काफी भरोसा किया जिसमें इस न्यायालय ने मद्रास सामान्य विक्रय कर अधिनियम की धारा 7क का अर्थ लगाते हुए केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए अनुमोदन के साथ संदर्भित किया कि माल बेचने वाला डीलर अभी भी उन परिस्थितियों में कर का भुगतान करने का दायी हो सकता है जिनमें अधिनियम के तहत कोई कर देय नहीं है। हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि यह न्यायालय ऐसे प्रावधान की व्याख्या कर रहा था जिसे शुल्क लगाने के साथ-साथ उपचारात्मक प्रावधान कहा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य रिवास को रोकना और

कर की चोरी को रोकना था। इसी स्थिति में पूर्वोक्त प्रावधान की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की गई थी। वर्तमान मामले में धारा 3 (2) का दूसरा प्रावधान न तो आरोप लगाने का खंड है और न ही कर चोरी को रोकने का। यह एक ऐसा खंड है जो अपनी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में कुछ रियायत देता है। इसलिए, यह निर्णय भी अपीलार्थी को लाभ नहीं पहुंचाता है।

21. श्री दातार ने ए. वी. फर्नांडीज बनाम राज्य वाले मामले पर भी भरोसा किया। इस प्रस्ताव के लिए कि डीलर के सकल कारोबार को यह पता लगाने के लिए देखा जाना चाहिए कि क्या डीलर वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और स्पष्ट रूप से सकल कारोबार की गणना करने के लिए अंतर-राज्य बिक्री और निर्यात के माध्यम से राशियों सहित सभी देय राशियों को ध्यान में रखा जाता है, जिससे यह पता चलता है कि डीलर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।इस मामले में हमें फिर से हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें डीलरों से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि अनुसूचित वस्तुओं के आयातकों से संबंधित है, जो धारा 3 (2) का दूसरा प्रावधान लागू होने के क्रम में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।हमने पहले ही अभिनिर्धारित किया है कि धारा ३ (२) के अधिनियमित भाग में, अपीलकर्ता निश्चित रूप से एक डीलर है जो वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत आने वाला एक पंजीकृत डीलर है। इसलिए, सकल कारोबार पर आधारित कोई भी तर्क प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत अपीलकर्ता को शामिल करने के लिए पूरी तरह से अनावश्यक है।

22. इसके बाद श्री दातार ने बिहार राज्य और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, एआईआर 1995 एससी 4681 वाले मामले का उल्लेख किया।बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अन्य, (1996) 9 एससीसी 136 के लिए यह प्रस्ताव कि प्रवेश कर अधिनियम के विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्य और कारण दर्शाते हैं कि बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधान को अधिक व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से ऐसा किया गया था।इससे यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि यह उद्देश्य होने के कारण, दूसरे

प्रावधान को पूरी तरह से बदल दिया जाना चाहिए ताकि यह ऐसे उद्देश्य को पूरा कर सके।हमने पहले ही अभिनिर्धारित किया है कि दूसरे प्रावधान के शाब्दिक पठन को, जो मुआवजा के रूप में रियायत देता है, संभवतः हर भौतिक स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ताकि अपीलकर्ता मुआवजा का दावा करने का हकदार हो। नतीजतन, इस निर्णय और अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत अन्य निर्णयों द्वारा जैसे कि आयकर आयुक्त, बैंगलोर बनाम्जे. एच. गोटला, यदागिरी, (1985) 4 एस. सी. सी. 343, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की दलील को लागू करने के लिए आयोजित नहीं किया जा सकता है।

23. श्री दातार की अगली दलील यह थी कि दूसरे प्रावधान के शाब्दिक पठन से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां एक ही वस्तु पर कर की विभिन्न दरें लागू होंगी और यह विभेदकारी होगा। हमें डर है कि यह दलील भी अपीलार्थी को इस साधारण कारण से लाभ नहीं पहुंचाती है कि वर्तमान मामले में दो कर लगाए गए हैं, एक वैट है और दूसरा प्रवेश कर है। उपर्युक्त स्थिति से उत्पन्न किसी भी विसंगति से स्पष्ट और प्रतिकूल भेदभाव का आरोप नहीं लगेगा।

24. जब कर कानूनों की बात आती है, तो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन तभी कहा जा सकता है जब विकृति या घोर असमानता हो जिसके परिणामस्वरूप विधायिका द्वारा स्पष्ट और शत्रुतापूर्ण भेदभाव किया जाता है, बिना किसी तर्कसंगत औचित्य के। (देखें) द ट्विफोर्ड टी कंपनी लिमिटेड और बनाम्केरल राज्य और अन्य, (1970) 1 एससीसी 189, पैरा 16 और 19 पर गंगा शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनामउत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (1980) 1 एससीसी 223 236 पर और पी. एम. अश्वथनारायण शेट्टी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (1989) एस यू पी पी (1) एस सी सी 696, 724-726 पर।

25. हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी निर्धारिती अधिकार के रूप में मुआवजा का दावा नहीं कर सकता है और प्रवेश कर के उद्ग्रहण को केवल इसलिए असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि मुआवजा नहीं दिया गया है। (देखें गोदरेज

और बॉयस निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य) बनाम्बिक्री कर आयुक्त और अन्य, (1992) 3 एससीसी 624, पैरा 9 पर और कर्नाटक राज्य बनाम एम. के. एग्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड, 22 सितंबर, 2017 को विनिश्चित किया गया 2017 का 15049-15069 (पैरा 31 पर)।

26. तथापि, श्री दातार ने निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख कियाः आयुर्वेद फार्मेसी और अन्य बनाम्तमिलनाडु राज्य, (1989) 2 एस. सी. सी. 285, आशिर्वाद फिल्म्स बनाम भारत संघ और अन्य, (2007) 6 एस. सी. सी. 624, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, (2007) 10 एससीसी 342 भारत संघ और अन्य, बनाम्एन. एस. रत्नम एंड सन्स, (2015) 10 एससीसी 681 इनमें से प्रत्येक कराधान दर से संबंधित निर्णय जो प्रथम दृष्टया मनमाना और/या भेदभावपूर्ण थे, उनमें से एक ही कर को बिना किसी तर्कसंगत औचित्य के अलग-अलग दरों पर लगाया गया था और इस प्रकार, उन्हें निरस्त कर दिया गया था। मनमाना और/या भेदभावपूर्ण होने के कारण।इन फैसलों में से कोई भी वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा, जिसमें यह स्पष्ट है कि भेदभाव की दलील एक अलग और स्वतंत्रता कर लागू करने के खिलाफ एक कर का एक सेट है।यह तथ्य परिस्थिति कथित निर्णयों को वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग करने के लिए पर्याप्त होगी.

27. चूंकि हमने पाया है कि विभेद का दलील पूर्वोक्त आधारों पर विफल होना चाहिए, तब उपबंधों को कम करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

28. हालांकि, जब ब्याज की वसूली की बात आती है, तो 19 अप्रैल, 2017 को दिए गए फैसले में कहा गया कि ब्याज की कोई लेवी नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि इसके लिए कोई ठोस वैधानिक प्रावधान नहीं है। निर्धारिती इस बिंदु पर सफल रहा और राज्य ने इसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है। इसलिए, अंतिम रूप लेने के बाद, हमारे द्वारा हितों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

29. तथापि, राजस्व विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. गणेश ने हमारे समक्ष यह तर्क दिया है कि प्रतिस्थापन के मामले के रूप में, उस अवधि के लिए राजस्व के पक्ष में ब्याज दिया जाना चाहिए जिसके लिए 2014 और 2015 में दायर रिट याचिकाओं में स्थगन आदेश प्राप्त किए गए हैं।इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई पक्षकार अंततः सफल होता है तो उसे उसी स्थिति में वापस लाया जाना चाहिए मानो ऐसा कोई स्थगन आदेश पारित न किया गया हो और इस प्रयोजन के लिए उसने राज्य के प्रति निर्देश किया और उस पर भरोसा किया। राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम्जेके सिंथेटिक्स लिमिटेड और अन्य, (2011) 12 एससीसी 518, पैरा 18 और 23 पर और नव भारत फेरो मिश्र धातु लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य, (2011) 1 एससीसी 216, पैरा 16 से 27 पर।

30. भारत फेरो मिश्र धातु (उपर्युक्त) के पैरा 23 के पठन पर यह ध्यान दिया जाएगा कि अंततः प्रत्यास्थापन अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि विवेक का विषय है, और यह कि प्रत्यास्थापन के माध्यम से एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों की कठिनाइयों पर गौर किया जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य ने वर्ष 2014 तक मुआवजा जारी रखा और एक लेखा परीक्षा आपत्ति के आधार पर 2008-09 से शुरू होने वाले आकलनों को फिर से खोला, हमारा विचार है कि इस समय राज्य को ब्याज वसूलने की अनुमति देना अत्यधिक असमान होगा, जो रिट याचिकाओं में स्थगन आदेशों के पारित होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होगा।मूल राशि भी कुछ ऐसी नहीं है। इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में अंतिम उपभोक्ता को हस्तांतरित करने में अपीलार्थी साक्ष्य था।यदि अपीलकर्ता को आकलन वर्ष 2008-09 से पता होता और उसी वर्ष विभाग ने कोई आपत्ति उठाई होती, तो उसने अपने मामलों को इस तरह से व्यवस्थित किया होता कि वह प्रवेश कर अधिनियम के तहत मुजरा का लाभ उठा सकता था, जो उसने 2014 के बाद किया था, जब पहली बार लेखा परीक्षा आपत्तियां उठाई गई थीं। इसलिए, इस मामले के तथ्यों के आधार पर, हम राजस्व को

क्षतिपूर्ति ब्याज देने के लिए अपने विवेक का उपयोग करने के इच्छुक नहीं हैं। यह मामला यहीं समाप्त नहीं होता।

31. श्री दातार ने बताया कि ऑडिट संबंधी आपत्तियों के बाद प्राधिकरण द्वारा 16 अप्रैल, 2014 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब 16 जून, 2014 और 27 जून, 2014 के पत्रों द्वारा दिया गया था, जिसमें निर्धारिती ने बार-बार मामले के गुण-दोष पर विस्तृत आपत्ति उठाने के लिए समय मांगा था।अंत में, 22 अगस्त, 2014 के एक पत्र द्वारा, निर्धारिती बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा दिए गए मूल्यांकन वर्षों के लिए कुछ प्रमाण पत्रों को इकट्ठा करने में प्रश्नगत था, यह दिखाने के लिए कि उनके द्वारा की गई बिक्री की एक बड़ी मात्रा उनके खुदरा उपभोक्ताओं को और हालांकि खुदरा आउटलेट पटना के स्थानीय क्षेत्र के बाहर थे, और इसलिए, नहीं प्रवेश कर के लिए सभी तरह की छूट। हम पाते हैं कि अतिरिक्त आंकड़ों और ब्यौरे की मांग किए बिना, वाणिज्यिक कर के सहायक आयुक्त ने उसके तुरंत बाद 27 अगस्त, 2014 को एक मूल्यांकन आदेश पारित किया और उसी तारीख को मांग नोटिस जारी किए।हमारा मानना है कि राजस्व उपर्युक्त मांग नोटिस जारी प्रस्तुत की जल्दबाजी में था और चूंकि हम ओएमसी के साथ काम कर रहे हैं, जिनके पास पटना क्षेत्र के बाहर अपने खुदरा ग्राहकों और आउटलेटों को की गई बिक्री का पूरा विवरण है, इसलिए हमें लगता है कि श्री दातार का यह पूछना सही है कि हम अपीलकर्ता को सभी प्रासंगिक दस्तावेजी सामग्री प्रस्तुत प्रस्तुत का अवसर दें, जो यह दर्शाती है कि इन वर्षों के लिए प्रश्नगत एक बड़ी राशि (1,683.03 करोड़ रुपये), को समाप्त प्रस्तुत के लिए उत्तरदायी होगी क्योंकि इन लेनदेन पर प्रवेश कर नहीं लगाया जाएगा क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत, उपयोग या बिक्री पटना क्षेत्र के बाहर हो गई है। वास्तव में, इन सभी विक्रेताओं को पटना के बाहर के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कर का सामना करना पड़ा होगा, जहां ऐसी खुदरा बिक्री की गई थी, बशर्ते कि वे बिहार राज्य के भीतर की गई हों। इसलिए, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता इस संबंध में सभी प्रासंगिक सामग्रियों के साथ अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाएगा और अपीलीय ट्रिब्यूनल एक खोज प्रस्तुत करेगा कि प्रश्न में मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रवेश कर की कितनी मांग

को एच पी सी एल और बी पी सी एल द्वारा की गई बिक्री में रद्द करना होगा। उनके खुदरा उपभोक्ता और अन्य को पटना के स्थानीय क्षेत्र के बाहर बनाया जाता है। हम अपीलकर्तओं को उपरोक्त सभी विवरणों के साथ अपीलीय न्यायाधिकरण से अनुरोध करते हैं कि वे इस फैसले के अनुसार जितनी जल्दी हो सके, निष्कर्ष प्रस्तुत करें। रिट याचिकओं में दिए गए स्थगन आदेश, जो आज तक जारी है, अपील अधिकरण के निर्णय तक जारी रहेंगे।

32. इन टिप्पणियों के साथ, सिविल अपील और विशेष अनुमति याचिकाओं का विस्तारण किया जाता है।

(आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति)

(संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति)

नई दिल्ली,

14 नवंबर, 2017

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।